

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पत्रांक-सं0सं0-रे0/यो0 म0स्वा0बी0यो0-02/13 1405 पटना, दिनांक- 28-03-18

शुद्धि पत्र

विभागीय राज्यादेश संख्या 1295 दिनांक 23.03.2018 की कंडिका -3 को निम्न प्रकार संशोधित किया जाता है-

- (1) स्वीकृत राशि की निकासी BTC-25 पर संलग्न प्रमाणक के आधार पर एकमुश्त ICICI LOMBARD GIC LTD. के पक्ष में पटना में भुगतये बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से किया जाएगा।
- (2) राज्यादेश संख्या 1295 दिनांक 23.03.2018 के अन्य शर्तें एवं बंधेज पूर्ववत् रहेंगे।

1405
ज्ञापांक- रे0/यो0/म0स्वा0बी0यो0-02/13 पटना, दिनांक-

सरकार के अपर सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना

28-03-18

प्रतिलिपि- महालेखाकार (ले0 एवं हक0), विहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1405
ज्ञापांक- रे0/यो0/म0स्वा0बी0यो0-02/13 पटना, दिनांक-

सरकार के अपर सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना

28-03-18

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, विहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1405
ज्ञापांक- रे0/यो0/म0स्वा0बी0यो0-02/13

सरकार के अपर सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना

पटना, दिनांक- 28-03-18

प्रतिलिपि- वरीय लेखा पदाधिकारी, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना